संख्या–1286/60–3–2016–29 (सा0)/15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त,
आगरा/बरेली/मेरठ/कानपुर नगर/लखनऊ/इलाहाबाद/गोरखपुर/वाराणसी।

2– जिलाधिकारी,
आगरा/बरेली/मेरठ/गाजीपुर/गाजियाबाद/कानपुर नगर/कन्नौज/लखनऊ/इलाहाबाद/गोरखपुर/वाराणसी।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः: दिनांकः: 1) नवम्बर, 2016

विषयः– राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र के संचालन हेतु आदर्श मानक प्रक्रिया (एस0 ओ0 पी0) के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश में आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु जारी शासनादेश संख्या–45/60–3–15, दिनांक 12.01.2015 व शासनादेश संख्या–1924(2)/60–3–2016–29 (सा0)/15, दिनांक 16.02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों के रूप में प्रदेश के 11 जनपदों यथा–आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं वाराणसी में स्थापित किया गया है।

2– रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नलिखित हैः–

i. **महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी** की उपलब्धता जिसके माध्यम से व्यथित महिला का रोजनामचा एवं एफ0 आई0 आर0 दर्ज किया जाने हेतु निकटतम थाने अथवा महिला थाना से समन्वय स्थापित करना तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

ii. **आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं** की उपलब्धता के माध्यम से व्यथित महिला का विधिक चिकित्सीय परीक्षण तथा निशुल्क चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु संबंधित चिकित्सालय परिसर की महिला

चिकित्साधिकारी/ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी द्वारा केन्द्र में आकस्मिक चिकित्सा सेवा तथा मेडिकोलीगल परीक्षण किया जायेगा।

iii. केन्द्र परिसर में **'181– महिला हेल्पलाइन' सेवायें** प्रदान की जायेंगी, जिसके माध्यम से 181 नम्बर पर कॉल करने पर रेस्क्यू वैन के द्वारा वाह्य परामर्श सेवा एवं रेस्क्यू से संबंधित कार्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

अभ्युक्ति– 181 रेस्क्यू वैन का प्रयोग किसी भी अधिकारी के व्यक्तिगत कार्य हेतु पूर्णतया वर्जित होगा।

iv. केन्द्र परिसर में व्यथित महिला को यथावश्यक **परामर्श सेवायें** उपलब्ध करायी जायेंगी एवं **निःशुल्क विधिक सहायता** हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य विधिक सेवा प्रदत्त की जाने वाली संस्थाओं के अधिवक्ताओं द्वारा विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

अभ्युक्ति–केन्द्र के प्रशासक द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ताओं की सूची प्राप्त कर केन्द्र परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करने हेतु उसे चस्पा की जायेगी।

v. केन्द्र परिसर में व्यथित महिला जिसे अल्प आश्रय की आवश्यकता है अथवा दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत मेडिकल परीक्षण एवं धारा–164 के बयान अभिलिखित किये जाने तक अल्प आश्रय (अधिकतम 05 दिवस हेतु) प्रदान किये जाने हेतु **अल्पावास गृहों** की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र में 05 दिवस की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त जिला संचालन समिति के समक्ष व्यथित महिला की पुनर्वास योजना तैयार कर जनपद में स्थित निकटतम शार्ट स्टे होम में स्थानान्तरण किये जाने हेतु संस्तुति प्राप्त की जायेगी।

नोट– केन्द्र में उपलब्ध अल्पावास गृहों में ठहरने की अधिकतम सीमा 05 दिवस है, महिला को आवश्यकता पड़ने पर लम्बी अवधि के प्रवास के लिए निकटतम शार्ट स्टे होम में सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर उसे स्थानान्तरित किया जायेगा। यदि व्यथित बालक/बालिका है, ऐसी स्थिति में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत जनपदीय बाल कल्याण समिति से सक्षम आदेश स्थानान्तरण के संबंध में प्राप्त किये जायेगें।

vi. समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत **1098 चाइल्ड लाइन सेवाओं** की उपलब्धता हेतु केन्द्र परिसर में चाइल्डलाइन सेवा के एक्सटेन्शन काउन्टर की व्यवस्था की जायेगी।

vii. व्यथित महिला अथवा अन्य महिला लाभार्थियों के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु **कौशल विकास प्रशिक्षणों** से केन्द्र परिसर को जोड़ा जायेगा।

viii. समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के **समाजिक कार्यकर्ताओं एवं आउटरीच कार्यकर्ताओं** से संबंधी सेवाओं की उपलब्धता केन्द्र परिसर पर सुनिश्चित की जायेगी।

ix. केन्द्र परिसर में आवासित व्यथित महिलाओं एवं उनके बच्चों के अल्पाहार तथा अन्य कर्मचारियों व आगन्तुकों हेतु ''महिला स्वयं सहायता समूहों'' जिन्हें जिला संचालन समिति द्वारा चयनित किया गया है, के माध्यम से **कैन्टीन** की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

x. केन्द्र परिसर में समस्त महिलाओं से सम्बन्धित **कॉमन फैसिलिटी सेन्टर** जिला संचालन समिति/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सेन्टर का संचालन 'महिला स्वयं सहायता समूहों' जिन्हें जिला संचालन समिति द्वारा चयनित किया गया है, के माध्यम से किया जायेगा।

xi. जनसुविधा हेतु केन्द्र परिसर में **ए0टी0एम0** की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी एवं जिससे प्राप्त होने वाली आय को आशा ज्योति केन्द्र के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला संचालन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त व्यय किया जायेगा।

xii. आशा ज्योति केन्द्र विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाली आय हेतु पृथक से खाता खोला जायेगा एवं उसका रख–रखाव जिला संचालन समिति की देखरेख में किया जायेगा।

xiii. आशा ज्योति केन्द्र के संचालन हेतु जिला संचालन समिति द्वारा एक 'सलाहकार समिति' का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में महिलाओं एवं बच्चों के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं को सम्मिलित किया जायेगा। सम्मिलित किये गये व्यक्तियों एवं संस्थाओं को **ए0जे0के0 बन्धु** कहा जायेगा।

नोट– ए0जे0के0 बन्धुओं का कार्य जिला संचालन समिति की बैठक में आशा ज्योति केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तथा आशा ज्योति केन्द्रों में निःशुल्क सेवायें उपलब्ध कराना है, जैसे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, म्यूजिक ट्रेनिंग, महिला एवं बाल अधिकार पर संगोष्ठी/प्रशिक्षण/कान्फ्रेन्स आदि का आयोजन किया जाना इत्यादि।

3– रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों का संचालन, उ0प्र0 राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित **जिला संचालन समिति** के माध्यम से किया जाना है। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं समिति के सदस्य–सचिव जिला परिवीक्षा अधिकारी है, जिनके दिशा निर्देशों पर जिला संचालन

समिति द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किया जाना अपेक्षित है–:

1– **जिला संचालन समिति (कार्य एवं दायित्व):–**

i. आशा ज्योति केन्द्रों की समग्र गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित कराना एवं नियमित पर्यवेक्षण करना।

ii. आशा ज्योति केन्द्रों में गृह विभाग के द्वारा जारी उनके शासनादेश संख्या–259–पी0/छ0–पु0–6–2016–300(13)/16, दिनांक 26.02.2016 (संलग्नक–1) के अनुपालन में महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना सुनिश्चित करना।

iii. स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा ज्योति केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल की सेवायें सुनिश्चित करना।

iv. आशा ज्योति केन्द्रों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी शासनादेश संख्या–71/2015/1485/5–1–2015–5(01)/2015 टी0सी0–2, दिनांक 22.12.2015 (संलग्नक–2) के अनुपालन में 108–एम्बुलेन्स सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

v. केन्द्र परिसर में कैन्टीन के संचालन हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों का वार्षिक चिन्हीकरण।

vi. केन्द्र परिसर में कॉमन फैसिलिटी सेन्टर के संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों का वार्षिक चिन्हींकरण।

vii. केन्द्रों में बाल संरक्षण सेल के कार्यों हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आउटरीच कार्यकर्ताओं के कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना।

viii. आशा ज्योति केन्द्रों में पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के लिये 181–हेल्पलाइन तथा रेस्क्यू ऑपरेशन का मासिक पर्यवेक्षण किया जाना।

ix. जनपद स्तर पर संचालित चाइल्डलाईन सेवा 1098 एवं 1090 महिला पॉवर लाईन के लिए केन्द्र परिसर में एक्सटेन्शन काउन्टर की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी।

x. केन्द्रों के महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी पर क्राइसिस इन्टरवेन्शन सेन्टर द्वारा किये गये कार्यों का जिला संचालन समिति के माध्यम से मासिक पर्यवेक्षण कराकर समीक्षा किया जाना।

xi. केन्द्र परिसर में रेस्क्यू वैन के लिए एवं अल्पावास गृहों की सुरक्षा हेतु होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित किया जाना।

xii. आशा ज्योति केन्द्रों पर प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों की मासिक समीक्षा हेतु जनपदीय पुलिस अधीक्षक, जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला

परिवीक्षा अधिकारी के साथ बैठक आयोजित कर प्रकरणों के सम्बन्ध में यथोचित् निर्देश जारी किया जाना।

xiii. आशा ज्योति केन्द्रों से सम्बन्धित सेवाओं की जनपद स्तर पर जन जागरूकता हेतु कार्य योजना तैयार कर उनका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाना।

xiv. आशा ज्योति केन्द्र में विभिन्न गतिविधियों एवं प्रशिक्षण हेतु कैलेन्डर तैयार किया जायेगा, जिसके माध्यम से घरेलू हिंसा अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम इत्यादि के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों हेतु स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्राओं, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम पंचायत आदि स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण एवं गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त केन्द्र में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न गतिविधियों को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2–जिला परिवीक्षा अधिकारी (कार्य एवं दायित्व):–

जिला परिवीक्षा अधिकारी जो जिला संचालन समिति का सचिव है, उसके द्वारा आशा ज्योति केन्द्रों के प्रशासक की नियुक्ति होने तक प्रशासक की भूमिका का निर्वहन किया जायेगा।

i. आशा ज्योति केन्द्रों की समग्र गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहयोग प्रदान करना एवं जिला संचालन समिति में केन्द्रों के संचालन सम्बन्धी मासिक समीक्षा बैठक हेतु समन्वय स्थापित किया जाना।

ii. केन्द्र परिसर में समग्र गतिविधियों हेतु सन्दर्भित प्रपत्रों पर मासिक प्रगति प्रतिवेदनो को एस0आर0सी0डब्ल्यू0सी0, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 को प्रेषण सुनिश्चित किया जाना।

iii. केन्द्र परिसर में एस0आर0सी0डब्ल्यू0सी0 एवं अन्य स्टेक होल्डर्स (यूनिसेफ, टिस, महिला कल्याण निगम, जी0वी0के0ई0एम0आर0आई0 इत्यादि) द्वारा महिला सशक्तिकरण, विधिक सेवाओं का ज्ञान, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा ई–सुविधा के चिन्हींकरण एवं संचालन सम्बन्धी प्रकरणों में जिला संचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त सहायता प्रदान किया जाना।

iv. केन्द्र परिसर की समग्र गतिविधियों के पर्यवेक्षण में जिला संचालन समिति के माध्यम से नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

v. केन्द्र परिसर में कैन्टीन के संचालन हेतु जिला संचालन समिति के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों का वार्षिक चिन्हींकरण कराते हुए चिन्हित समूह द्वारा कैंटीन का संचालन सुनिश्चित किया जाना।

नोट– समूहों का चिन्हीकरण पूर्ण पारदर्शिता से किया जायेगा।

vi. केन्द्र परिसर में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु ई–सुविधा केन्द्रों के संचालन हेतु जिला संचालन समिति के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों का वार्षिक चिन्हींकरण कराते हुए चिन्हित समूह द्वारा इन केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाना।

vii. केन्द्र परिसर के बाल संरक्षण सेल में जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आउटरीच कार्यकर्ताओं हेतु बाल संरक्षण सम्बन्धी प्रकरणों के अतिरिक्त केन्द्र में महिलाओं की सहायता एवं परामर्श आदि कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना।

viii. केन्द्र परिसर में पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के लिये रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन सुनिश्चित कराने में 181–रेस्क्यू वैन काउन्सलरों को सम्पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाना।

ix. जनपद स्तर पर संचालित चाइल्डलाईन सेवा 1098 के केन्द्र परिसर में एक्सटेन्शन काउन्टर की स्थापना एवं इसके सुचारू संचालन में सहयोग प्रदान करना एवं नियमित पर्यवेक्षण किया जाना।

x. केन्द्र परिसर में आवश्यक आधारभूत संरचना की उपलब्धा सुनिश्चित किया जाना एवं सम्बन्धित व्यवस्थाओं की आपूर्ति हेतु जिला संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना।

xi. संबंधित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा आशा ज्योति केन्द्रों के संचालन का नियमित पर्यवेक्षण व समीक्षा की जायेगी। साथ ही, आशा ज्योति केन्द्र से संबंधित मुद्दों व उनके समुचित संचालन के संबंध में अपनी आख्या/संस्तुति निदेशक, महिला कल्याण को प्रेषित की जायेगी।

4– आशा ज्योति केन्द्रों के दिन–प्रतिदिन कार्यो के निष्पादन हेतु विभिन्न अधिकारियों/भागीदार से संबंधित कार्यों का निर्धारण निम्नवत है–

1. **प्रशासक (कार्य एवं दायित्व):–**

केन्द्रों में स्थाई प्रशासक की नियुक्ति होने तक जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रशासक के रूप मे कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। प्रशासक के निम्नवत कार्य निर्धारित किये गये हैं:–

i. केन्द्र की दिन प्रतिदिन समग्र गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन किया जाना।

नोट– प्रशासक द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी को समग्र गतिविधियों की अद्यतन आख्या से अवगत कराया जायेगा।

ii. केन्द्र के सभी कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर तैयार करना एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

iii. केन्द्रों की समग्र गतिविधियों हेतु सन्दर्भित प्रपत्रों पर मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को तैयार किया जाना।

iv. सी0आई0सी0 के सामाजिक कार्यकर्ता, 181 के परामर्शदाता एवं वाहन चालक 181 रेस्क्यू वैन का मासिक प्रतिवेदन संरक्षण अधिकारी (समन्वयक) द्वारा प्रमाणित किया जायेगा एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर ही सम्बन्धित कर्मचारियों का मानदेय आहरित किया जायेगा।

v. केन्द्र में संचालित कैन्टीन, अल्पावास गृह, क्रेच आदि सेवाओं का दिन–प्रतिदिन पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं उसकी मासिक रिपोर्ट जिला परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

vi. केन्द्र में उपलब्ध करायी गयी चिकित्सीय उपकरणों, दवाईयों एवं किचन सामग्रियों हेतु आपूर्ति रजिस्टर का रख–रखाव किया जायेगा एवं रिक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु जिला परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से मॉग पत्र को जिला संचालन समिति की संस्तुति प्राप्त कर बजट अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

vii. रेस्क्यू वैन का उपयोग केन्द्र में प्रकरण से सम्बन्धित एवं विशेष परिस्थिति में जिला परिवीक्षा अधिकारी के आदेशानुसार किया जायेगा, जो कि वाहन की लॉग डायरी में अंकित कर हस्ताक्षरित होगा। लॉग डायरी को संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

viii. प्रशासक द्वारा केन्द्र परिसर में स्थित ए0टी0एम0 से अर्जित आय का लेखा व्यवस्थित किया जायेगा एवं अर्जित आय के सापेक्ष केन्द्र परिसर के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर जिला परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2. **समन्वयक (कार्य एवं दायित्व):–**

समन्वयक का कार्य केन्द्र परिसर के प्रशासक के दैनिक कार्यो में सहयोग प्रदान करना है। समन्वयक द्वारा समस्त गतिविधियों के अभिलेखों का रखरखाव किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 03 तारीख तक प्रशासक को अग्रेसित किया जायेगा।

i. केन्द्र परिसर में स्थायी समन्वयक की नियुक्ति होने तक संरक्षण अधिकारी (पी0ओ0)–जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समन्वयक के रूप में कार्य किया जायेगा एवं उनके द्वारा केन्द्र से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को

जिला परिवीक्षा अधिकारी/प्रशासक के निर्देशन में निम्नलिखित रूप से संचालित किया जायेगा।

ii. केन्द्र परिसर में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य अनुसार समय सारणी तैयार किया जाना एवं उसे केन्द्र में चस्पा किया जायेगा।

iii. केन्द्र परिसर के सभी कर्मचारी विभागीय कार्य के लिए आवागमन पंजिका में इन्ट्री का रख–रखाव किया जायेगा।

iv. केन्द्र परिसर की दिन प्रतिदिन समग्र गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाना।

v. केन्द्र परिसर में अल्पावास गृहों एवं क्रेच (शिशुपालन) का अनुरक्षण।

vi. केन्द्र के सभी कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर तैयार करना एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

vii. केन्द्र परिसर की समग्र गतिविधियों हेतु सन्दर्भित प्रपत्रों पर मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को तैयार किया जाना।

viii. सी0आई0सी0 के सामाजिक कार्यकर्ता, 181 के परामर्शदाता एवं वाहन चालक 181 रेसक्यू वैन का मासिक प्रतिवेदन संरक्षण अधिकारी (समन्वयक) द्वारा प्रमाणित किया जायेगा एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर ही सम्बन्धित कर्मचारियों का मानदेय आहरित किया जायेगा।

ix. रेस्क्यू वैन के उपयोग हेतु वाहन की लॉग डायरी में इन्ट्री को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया जायेगा।

3. **रिपोर्टिंग पुलिस चौकी (कार्य एवं दायित्व):–**

केन्द्रों में नामित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में केन्द्रों में आने वाली पीड़ित महिलाओं के वादों का निस्तारण किया जायेगा। नामित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के सम्बन्धित कार्य निम्नवत हैं:–

i. उक्त रिपोर्टिंग चौकी पर रोजनामचा आम की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं अनामवादों में तहरीर के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) तुरन्त दर्ज की जायेगी।

ii. नामजद वादों में निकटतम पुलिस थानों अथवा महिला थानों में थानाध्यक्ष की संस्तुति उपरान्त एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने में सहायता प्रदान की जायेगी एवं व्यथित महिला एवं उनके रिश्तेदारों को एफ0आई0आर0 की निःशुल्क प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

iii. उक्त रिपोर्टिंग चौकी का उद्देश्य महिलाओं को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराना है। अतः पीड़ित महिलाओं के थानों के सम्पर्क में आने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र उनके मेडिकल एवं परामर्श सेवाओं से जोड़ने हेतु कार्यवाही किया जाना है, इसलिये

महिला रिपोर्टिंग चौकी पर आई हुयी पीड़ित महिलाओं का वाद चौबीस घंटों के भीतर दर्ज किया जायेगा एवं समानान्तर स्तर पर उनके मेडिकल एवं परामर्श सेवाओं में सहायता प्रदान की जायेगी।

iv. नामजद वादों में आवश्यकता पड़ने पर रेस्क्यू वैन का उपयोग निकटतम थानों अथवा महिला थानों में लाने ले जाने हेतु किया जायेगा।

v. रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में 24X7 में पालीवार निम्नलिखित अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगीः–

i. **उप निरीक्षक महिला– 01 प्रत्येक पाली में**

ii. **आरक्षी महिला –02 प्रत्येक पाली में**

vi. आशा ज्योति केन्द्रों की समग्र गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित कराना एवं नियमित पर्यवेक्षण करना।

vii. टी0आई0एस0एस0 (**TISS**) तथा यूनीसेफ के सहयोग से संचालित सी0आई0सी0 के सामाजिक कार्यकताओं को महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी हेतु नामित किया गया है, जिनका कार्य रिपोर्टिंग चौकी पर आने वाली पीड़ित महिलाओं का समाजिक अन्वेषण एवं परामर्श किये जाने में रिपोर्टिंग चौकी पर सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4. **चिकित्सा सेवा (कार्य एवं दायित्व):–**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी–जनपद/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक–चिकित्सा परिसर द्वारा केन्द्रों पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु 24X7 में पालीवार संवेदनशील एवं महिलाओं के मेडिकोलीगल परीक्षण में दक्ष/महिला एवं प्रसूति रोग में दक्ष कुशल महिला चिकित्साधिकारी को नामित किया जायेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर उक्त केन्द्र के चिकित्सीय कक्ष में अपनी सेवायें दे सकें। केन्द्रों पर प्रदत्त की जाने वाली चिकित्सा सुविधायें निम्नवत हैं:–

1– मेडिकोलीगल परीक्षण हेतु सुविधाओं की उपलब्धता।

2– प्राथमिक उपचार हेतु सुविधाओं की उपलब्धता।

3– उक्त केन्द्र पर केवल हिंसा से पीड़ित महिलाओं/बच्चियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी द्वारा रेफर किया जायेगा, केन्द्र का इस्तेमाल अन्य रोगों का इलाज अथवा किसी भी चिकित्साधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस के रूप में नहीं किया जायेगा।

नोट– यदि महिला चिकित्सा अधिकारी नामित नहीं है तो उस स्थिति में संबंधित चिकित्सालयों के ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर द्वारा उपरोक्त कार्यो का सम्पादन किया जायेगा।

4– केन्द्र पर 24X7 में पालीवार तीन पाली में संविदा पर 03 नर्सों को रखा जायेगा, जो पूर्णतयाः उक्त केन्द्र पर अपनी सेवायें प्रदान करेंगी। सम्बन्धित 03 नर्सों का चयन शासनादेश संख्या–1924 (2)/60–3–2016, दिनांक 16.02.2016 में वर्णित किया गया है।

5. **वाह्य परामर्श एवं रेस्क्यू ऑपरेशन (कार्य एवं दायित्व):–**

i. **मनोसामाजिक परामर्शदाता (अभिघात)**

हिंसा से पीड़ित महिलाओं जिन्हें अत्यधिक मानसिक एवं भावनात्मक अभिघात हुआ है, इस हेतु पुलिस रिपोर्टिंग चौकी द्वारा मनोसामाजिक परामर्शदाता (अभिघात) को रेफर किया जायेगा। केन्द्र में 24X7 में पालीवार दो पालियों में संविदा पर मनोसामाजिक परामर्शदाता (अभिघात) को रखा जायेगा, जो पूर्णतयाः उक्त केन्द्र पर अपनी सेवायें प्रदान करेंगे।

ii. **परामर्शदाता 181– महिला हेल्पलाइन**

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को केन्द्र तक लाने एवं रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को सुपुर्द करने हेतु 181–महिला हेल्पलाइन परामर्शदाता, जी0वी0के0ईएम0आर0आई0 द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा उक्त परामर्शदाता द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगेः–

a. हिंसा से पीड़ित महिला को रेस्क्यू वैन के माध्यम से रेस्क्यू करके परामर्शदाता द्वारा केन्द्र पर लाया जायेगा एवं उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता (सी0आई0सी0) को हस्तांतरित किया जायेगा। इस हेतु 181– हेल्पलाइन में पृथक इन्ट्री रजिस्टर बनाये रखा जायेगा।

b. हस्तान्तरण करते समय उक्त महिला से सम्बन्धित प्राप्त विवरणों को जी0वी0के0ई0एम0आर0आई0 द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र में भरकर सी0आई0सी0 के परामर्शदाताओं से उसकी पावती अपने मासिक पत्रावली में संधारित करेंगे।

iii. 181 रैस्क्यू वैन

i. वाहन जिला परिवीक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।

ii. वाहन की लॉग डायरी अन्दर ही रखी जायेगी, जो कि प्रत्येक सप्ताह संरक्षण अधिकारी (समन्वयक) द्वारा अवलोकित की जायेगी एवं माह के अन्त में जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा संस्तुति की जायेगी।

iii. वाहन चालक एवं काउन्सलर किसी भी केस के लिए आवागमन पंजिका में इन्ट्री करके ही केन्द्र से जायेगे।

iv. वाहन में परामर्श दाता के साथ एक महिला आरक्षी एवं एक होम गार्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु जायेगे।

v. परामर्शदाता एवं वाहन चालक अपनी विगत माह की अद्यतन आख्या एवं उपस्थिति पंजिका संरक्षण अधिकारी (समन्वयक) से प्रमाणित एवं जिला परिवीक्षा अधिकारियों से संस्तुति के बाद ही सम्बन्धित संस्था को प्रेषित करेंगे।

vi. परामर्शदाता एवं वाहन चालक का मानदेय जिला परिवीक्षा अधिकारी की संस्तुति के बाद ही सम्बन्धित संस्था द्वारा देय होगा।

आशा ज्योति केन्द्रों में संचालित महिला आशा ज्योति लाइन एवं रेस्क्यू वैन संचालन का मासिक पर्यवेक्षण कर प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को मासिक आख्या प्रेषित करते हुये अवगत कराना। तत्क्रम में रिपोर्ट हुये प्रकरणों का डाटा बेस तैयार करना एवं उसका अनुरक्षण करना।

6. **सामाजिक कार्यकर्ता (सी0आई0सी) (कार्य एवं दायित्व):–**

i. महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी के माध्यम से पीड़िता का केस हिस्ट्री प्रपत्र तैयार करना, जिसमें पीड़िता द्वारा दिया गया विवरण भी दर्ज किया जायेगा।

ii. पीड़िता को आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता करने में सहयोग प्रदान करना।

iii. प्रतिवादी का विवरण प्रपत्र पर दर्ज करना।

iv. प्रकरण के फालोअप के लिए समय अवधि तय करना एवं उसी के अनुसार पीड़िता से सम्पर्क करना।

v. प्रत्येक प्रकरण का सम्पूर्ण अभिलेखीकरण तैयार कर सम्बन्धित पत्रावली में संकलित करना एवं समय–समय पर संरक्षण अधिकारी (समन्वयक), आशा ज्योति केन्द्र से अवलोकित करना।

vi. केन्द्र परिसर में आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न स्तरों पर परामर्शदाता के दायित्व का निर्वहन करना।

vii. अपने द्वारा किये गये कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर संरक्षण अधिकारी के समक्ष उपस्थिति करना।

7. **सामाजिक कार्यकर्ता (आई0सी0पी0एस0) (कार्य एवं दायित्व):–**

i. केन्द्र परिसर के बाल संरक्षण संवर्ग में आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत परिभाषित अपने दायित्वों यथा–विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ समन्वय, किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस के संपर्क में आये बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना, परामर्श प्रदान करना, बाल कल्याण समिति

एवं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना।

ii. केन्द्र परिसर में बच्चों से सम्बन्धित प्राप्त प्रकरणों यथा–किशोर न्याय अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, बाल विकास प्रतिषेध अधिनियम आदि के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों का अभिलेखीकरण करना।

iii. केन्द्र परिसर में महिलाओं से सम्बन्धित प्रकरणों यथा–घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज अधिनियम आदि के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों में सहयोग प्रदान करेंगें।

iv. केन्द्र परिसर में आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न स्तरों पर परामर्शदाता के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

v. क्राइसिस इण्टरवेंशन सेंटर के संचालन में सहयोग प्रदान करना।

8. आउटरीच कार्यकर्ता (आई0सी0पी0एस0) (कार्य एवं दायित्व):–

i. केन्द्र परिसर के बाल संरक्षण संवर्ग में आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत अपने दायित्वों यथा संवासित बाल गृहों के बच्चों के परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि का अभिलेखीकरण, क्षेत्रीय स्तर पर देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों का चिन्हींकरण, स्पान्सरशिप एवं फास्टरकेयर कार्यक्रमों हेतु क्षेत्रीय स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना एवं ऐसे परिवारों का चिन्हीकरण कर उक्त स्पान्सरशिप एवं फास्टरकेयर हेतु उनको तैयार करने का कार्य करना।

ii. ग्राम बाल संरक्षण समितियों का विलय करते हुये ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल अधिकार मंच की स्थापना किये जाने में जिला परिवीक्षा अधिकारी तथा महिला समाख्या के कोऑर्डिनेटर को सहयोग प्रदान करना।

iii. महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष एवं अन्य योजनाओं हेतु ग्रामीण स्तर पर अनवरत जागरूकता अभियान चलाने में सहयोग प्रदान करना।

iv. महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं पर आई0ई0सी0 सामग्रियों का ग्रामीण स्तर पर वितरण करना।

v. महिला एवं बाल अधिकार मंच को क्रियाशील करते हुये विभागीय योजनाओं के संबंध में जागरूकता प्रदान करना।

9. कौशल विकास प्रशिक्षण सेवायें (कार्य एवं दायित्व):–

i. केन्द्र परिसर में कौशल विकास प्रशिक्षण की सेवायें सुनिश्चित की जायेंगी।

ii. कौशल विकास प्रशिक्षणों में ''एक्शन–ऐड'' संस्था के साथ समन्वय स्थापित करते हुये प्रशिक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया की जायेगी।

iii. केन्द्र परिसर में महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ई–हब विकसित करने हेतु ''एक्शन–ऐड'' संस्था के साथ सामन्जस्य स्थापित करना तथा महिला स्वयं

सहायता समूहों को चिन्हीकरण करना एवं ई–सेवा प्रदाता एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये ई–सेवाओं पर प्रशिक्षण प्रदान कराना।

10. चाइल्ड लाइन (कार्य एवं दायित्व):–

समग्र आशा ज्योति केन्द्र के जनपदों में संचालित चाइल्ड लाइन की सेवायें केन्द्र परिसर में एक्सटेन्शन काउन्टर के रूप में प्रदान की जायेंगी। तद्नुसार यह चाइल्ड लाइन इन केन्द्रों पर अपने कार्यों का निर्वहन सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे।

11. परामर्शदाता (एक्शन–ऐड संस्था) (कार्य एवं दायित्व):–

i. यूनीसेफ एवं टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज द्वारा तैयार प्रशिक्षण माडयूल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु प्रचार–प्रसार के लिए आई0 ई0 सी0 तैयार करना एवं प्रशिक्षणों में सहयोग प्रदान करना।

ii. केन्द्र परिसर में महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ई–हब विकसित करने में सहयोग प्रदान करना।

iii. महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग, विक्रय बढ़ाने हेतु प्रयास एवं ई–मार्केटिंग में सहयोग प्रदान करना।

iv. महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये ई–सेवाओं पर प्रशिक्षण प्रदान कराने में सहयोग प्रदान करना।

v. प्रत्येक आशा ज्योति केन्द्र में एक–एक परामर्शदाता उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य स्तर पर जी0वी0के0एम0आर0आई0 द्वारा संचालित 181 महिला आशा ज्योति लाइन के सहयोग हेतु एक राज्य स्तरीय कोआर्डिनेटर उपलब्ध कराया जायेगा।

इन केन्द्रों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–1254/60–3–2016, दिनांक 04.11.2016 के द्वारा राजस्व पक्ष में आवर्तक तथा अनावर्तक मदों हेतु आवश्यक धनराशि रू0–3,20,76,000/– की वित्तीय स्वीकृत जारी करते हुये सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भी अपेक्षित धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तत्क्रम में उपरोक्तानुसार उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यक सेवाओं को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के लिये कृपया सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1286(1)/60–3–2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, महिला कल्याण विभाग, लखनऊ।
2– सम्बन्धित उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जी0वी0के0ई0एम0आर0आई0, लखनऊ।
5– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0, लखनऊ।
5– क्षेत्रीय प्रबन्धक, एक्शन–ऐड, लखनऊ।
6– उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन, नई दिल्ली।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।